ई–सेवा केन्द्र

मातृभाषा आविर्भाव

कु0 स्मिता रत्नावत

eSewa Kendra

ई–सेवा केंद्र

1. ई–सेवा केंद्र न्यायालय एवं सामान्य पक्षकार के मध्य सेतु का कार्य करता है।

2. न्यायालय संबंधी आवश्यकता हेतु सामान्य पक्षकार को एक ही केंद्र पर सेवाएं उपलब्ध करवाता है।

ई–सेवा केंद्र

3. न्यायालय स्थापना के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित होता है। अन्य स्थान पर स्थापित ई–सेवा की जानकारी न्यायालय की वेब साईड से प्राप्त की जा सकती है।

4. ई–सेवा केंद्र का संचालन कार्यालयीन सहयोगी द्वारा किया जाता है।

ई–सेवा केंद्र

5. केंद्र को संचालित करने वाला सहयोगी समस्त आगंतुक की अंकीय प्रारूप में सूची तैयार करता है।

6. ई–सेवा केंद्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के पैनल अधिवक्ता, सूचीबद्ध पैरा लिगल स्वयं सेवक एवं अन्य प्रशिक्षित व्यक्तियों की सहायता करता है।

ई–सेवा केंद्र

7. न्यायालयीन स्थापना एवं पक्षकार के मध्य प्रथम श्रेणी की संपर्क स्थापना का कार्य करता है।

8. पक्षकार द्वारा चाही गयी सूचना प्राप्त करने में मदद करता है।

ई–सेवा केंद्र

9. केंद्र के पास संबंधित न्यायालयीन स्थापना की आवश्यक विस्तृत जानकारी उपलब्ध रहती है।

10. ई–सेवा केंद्र में इंटरनेट की सुविधा को छोड़कर कंप्यूटर एवं स्कैनर की व्यवस्था होती है।

ई–सेवा केंद्र

11. केंद्र सुबह 09:00 बजे या न्यायालय खुलने के एक घण्टा पूर्व खुल जाता है।

12. अन्य स्थानों पर सुबह 10:30 से 05:30 बजे तक कार्यालयीन दिवसों में कार्य करता है। (संबंधित उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर)

ई–सेवा केंद में उपलब्ध सेवाएं

1. न्यायालय का स्थान, प्रकरण की जानकारी, दैनिक प्रकरण की कॉज लिस्ट आदि संबंधी पूछताछ में तत्काल जानकारी उपलब्ध करवाना।

ई–सेवा केंद में उपलब्ध सेवाएं

2. प्रमाणित प्रतियों बाबत् ऑनलाईल आवेदन प्राप्त होने पर सहायता उपलब्ध करवाना।

ई–सेवा केंद में उपलब्ध सेवाएं

3. याचिकाओं की ई–फाईलिंग बाबत्–

1. ई स्टेम्प पेपर की ऑनलाईन खरीदी हेतु सहायता करना।
2. ई–पेमेंट करवाने में सहयोग करना।
3. ई–फाईलिंग हेतु डेटा का इंद्राज करने में मार्गदर्शन देना।
4. आवश्यक दस्तावेजों की स्केन एवं अपलोड करने में मदद करना।
5. ई–सत्यापन में मदद करना।

ई–सेवा केंद में उपलब्ध सेवाएं

4. आधार आधारित अंकीय हस्ताक्षर करने में मदद करना।

ई–सेवा केंद में उपलब्ध सेवाएं

5. एन्ड्रॉइड एवं आईओएस. सॉफ्टवेयर में संस्थापित ई–कोर्ट मोबाईल ऐप का उपयोग करने में मदद करना।

ई–सेवा केंद में उपलब्ध सेवाएं

6. न्यायिक अधिकारी के अवकाश एवं न्यायालय की बैठक संबंधी जानकारी पक्षकार को देने में सहयोग करना।

ई–सेवा केंद में उपलब्ध सेवाएं

7. निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने हेतु मार्गदर्शन देना।

ई–सेवा केंद में उपलब्ध सेवाएं

8. यातायात संबंधी चालान/प्रकरणों का ऑनलाईन शमन करवाने के माध्यम से यातायात चालानों के निपटारे में सहयोग करना।

सादर धन्यवाद।

–मातृभाषा अविर्भाव–
कु0 स्मिता रत्नावत
कोर मास्टर ट्रेनर
छत्तीसगढ़ (भारत)